कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्याःएम0ई0–3 / पीजी–2022 / 2327 लखनऊःदिनांक 07 अक्टूबर, 2022

यू0पी0 नीट पी0जी0–2022 के अन्तर्गत एम0डी0 / एम0एस0 / डिप्लोमा की सीटो पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो के प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

1. राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य / संस्थान के निदेशक / विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।

2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टरो पर करायी जायेगी। नोडल सेन्टर की सूची संलग्न है।

3. आवंटित अभ्यर्थियो को प्रवेश के समय अपने मूल शैक्षणिक अभिलेख तथा अभिलेखो की छायाप्रति, जो स्वः प्रमाणित हो, लाना अनिवार्य है।

4. निजी क्षेत्र के कालेजो मे आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो एवं अभिलेखो के सत्यापन के उपरान्त मूल शैक्षणिक अभिलेख नोडल सेन्टर पर जमा किया जाना अनिवार्य है।

5. यदि निजी क्षेत्र के कालेज प्रबन्धन द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम शिक्षण शुल्क पर प्रवेश हेतु सहमति दी गयी है, तो तदानुसार शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट नोडल सेन्टर पर जमा कर प्रवेश प्रकिया पूर्ण की जायेगी।

6. निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कालेजो का शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण–शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट dgme.up.gov.in पर upneet.gov.in पर उपलब्ध है।

7. ऐसे अभ्यर्थी, जो ऑल इण्डिया कोटे के माध्यम से आवंटन प्राप्त कर प्रदेश की राजकीय सीटों पर प्रवेशित है, तत्पश्चात् स्टेट कोटे की सीटों पर आवंटन प्राप्त होने की दशा में आल इण्डिया के माध्यम से प्रवेशित मेडिकल / डेण्टल कालेज द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर स्टेट कोटा की सीट पर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से पूर्व समस्त अभिलेख मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सीट को रिक्त मानते हुये द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में सम्मिलित कर लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

8. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के मेडिकल कराये जाने की व्यवस्था कालेज / विश्वविद्यालय / नोडल सेन्टर स्तर पर बोर्ड का गठन किया गया है, समस्त आवंटित अभ्यर्थी को मेडिकल कराना अनिवार्य है।

9 पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अभ्यर्थियो को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर ही प्रवेश प्रकिया पूर्ण करनी होगी तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त रिलीविंग सार्टीफिकेट भी द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

10. उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC Certificate) का जाति प्रमाण–पत्र **दिनांक 01 अप्रैल 2022**

अथवा इसके पश्चात् का बना हो मान्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

11. प्रथम चक्र से आवंटित अभ्यर्थी के त्यागपत्र दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना पृथक से विभागीय वेब–साईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

12. यू0पी0 नीट पी0जी0–2022 की काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थी/अभिभावको को प्रवेश के समय कोविड–19 महामारी हेतु जारी दिशा–निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु बेबसाईट **https://upneet.gov.in & www.dgme.up.gov.in** का अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक।